पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन हमारी प्राथमिकता–परिवहन मंत्री

परिवहन विभाग चला रहा है 'मिशन सेफ फ्यूचर–2.0.' अभियान

लखनऊ : 13 अगस्त, 2026

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग को दिनांक 11 से 25 अगस्त की अवधि में स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में एक व्यापक प्रवर्तन अभियान संपादित करने के निर्देश दिए है। इस अभियान में संस्थागत कार्यवाही के साथ साथ समानांतर रूप से कड़ी प्रवर्तन कार्यवाही भी शामिल है।

परिवहन मंत्री के निर्देशों के क्रम में परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने फील्ड अधिकारियों को भेजे गये निर्देशों में स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी स्कूलों की सघन जांच की जाए जिनमें बसें या छोटे वाहन स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए संचालित हैं, किंतु अभिलेखानुसार वाहन अनफिट हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्कूल वाहन चलाने वाले चालकों का शत प्रतिशत चरित्र सत्यापन, एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए।

अभियान के नोडल अधिकारी , अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन के डी सिंह गौर ने बताया कि जो विद्यालय बार बार नोटिस भेजने और सचेत करने के बावजूद अपनी वाहनों का फिटनेस नहीं करा रहे हैं, उन्हें रेड लिस्ट (लाल सूची) में डाला गया है, और अनफिट वाहनों के पंजीयन निलंबित करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

मिशन सेफ फ्यूचर 2 में विगत दो दिनों की कार्यवाही में अब तक अनफिट और सुरक्षा मानकों को पूर्ण न करने वाले 603 स्कूली वाहनों का चालान किया गया है और 176 वाहन निरुद्ध किए गए हैं। पंद्रह दिवसीय यह अभियान 25 अगस्त तक चलेगा।

सम्पर्क सूत्र–आशीष सिंह

वैशाली माथुर/03:12**PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gm,vkbZ l.com,

वेबसाइट :www.information.up.gov.in